

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
पीठासीन अधिकारी :- सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	अंतिम निर्णय दिनांक
88/2018	23.04.2018	28.11.2019
	उनवान	

1. सुनिता पत्नी जलेशिंह जाति मीणा निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
-: वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र चिरंजी जाति डाकोत निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर
-: प्रतिवादीगण

दावा 53 राज0 कास्त0 अधि0

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से वकील श्री धर्मवीर बडसीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.11.2019 को सुनिता यादव उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद को खाता एवं लगान विभाजन बाबत अंतिम डिक्री करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि हाल खं0नं0 2038 रकबा 0.39 है0, खं0नं0 2042 रकबा 0.03 है0, खं0नं0 2043 रकबा 0.19 है0, खं0नं0 2044 रकबा 0.33 है0, खं0नं0 2045 रकबा 0.38 है0, खं0नं0 2046 रकबा 0.08 है0, का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार मुण्डावर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक:-भू0अ0/19/242 दिनांक 16.01.2019 प्रदर्श-अ के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस अन्तिम निर्णय व अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल गजाहगत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

१।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

